रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2010/चैत्र 19, 1932
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2010/CHAITRA 19, 1932

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 301(अ).—केन्द्रीय सरकार, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

भाग 1—प्रारंभिक

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "आंगनवाड़ी" से भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र अभिप्रेत है;

(ग) "नियत तारीख" से राजपत्र में यथा अधिसूचित वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको अधिनियम प्रवृत्त होता है;

(घ) "समुचित सरकार" से, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, किसी संघ राज्यक्षेत्र (राज्य विधान-मंडल रहित) की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "जिला शिक्षा अधिकारी" से किसी जिले में प्राथमिक शिक्षा के लिए भारसाधक समुचित सरकार का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "छात्र-शिक्षक संचित अभिलेख" स विस्तृत और सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख अभिप्रेत है;

(छ) "विद्यालय योजना निर्माण" से सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में "प्ररूपों" के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इसके परिशिष्ट 1 में उपवर्णित प्ररूपों के प्रति निर्देश हैं ।

(3) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।

भाग 2--विद्यालय प्रबंध समिति

3. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य--(1) गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में नियत तारीख के छह मास के भीतर एक विद्यालय प्रबंध समिति (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है) का गठन किया जाएगा और प्रत्येक दो वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा ।

(2) उक्त समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत बालकों के माता-पिताओं या संरक्षकों में से होगा ।

(3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा, अर्थात् :--

(क) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ;

(ख) विद्यालय के अध्यापकों में से एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा ;

(ग) स्थानीय शिक्षाविदो या विद्यालय के बालका में स एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय उक्त समिति में माता-पिताओं द्वारा किया जाएगा ।

(4) उक्त समिति अपने क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी ; विद्यालय का प्रधान अध्यापक, या जहां विद्यालय में प्रधान अध्यापक नहीं है, वहां विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक, उक्त समिति का पदेन सदस्य-संयोजक होगा ।

(5) उक्त समिति मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त तथा विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(6) उक्त समिति, धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :--

(क) अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता-पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में संसूचित करना ;

(ख) धारा 24 के खंड (क) और खंड (ङ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;

(ग) इस बात को मानिटर करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर-शैक्षिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए ;

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना ;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के बनाए रखने को मानिटर करना ;

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना ;

(छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानिटर करना ;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना ;

(झ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मानिटर करना ;

(ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना ।

(7) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उक्त समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को एक पृथक् खाते में रखा जाएगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी ।

(8) उपनियम (6) के खंड (ञ) में और उपनियम (7) में निर्दिष्ट लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उनके तैयार किए जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

4. विद्यालय विकास योजना तैयार करना--(1) विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी ।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाएं होंगी ।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात् :--

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा-वार नामांकन के प्राक्कलन ;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा 1 से कक्षा 5 और कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए पृथक् रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की अपेक्षा ;

(ग) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा ;

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के संबंध में वित्तीय आवश्यकता, जिसके अंतर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और वर्दियों जैसी बालकों की हकदारी, तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त अपेक्षा भी है ।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

भाग 3--निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

5. विशेष प्रशिक्षण--(1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और प्रबंधनाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात् :--

(क) विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई, आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा ;

(ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों पर लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा ;

(ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा ;

(घ) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(2) बालक, आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, विशेष प्रशिक्षण के पश्चात्, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने मे शैक्षणिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके ।

भाग 4--केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं--(1) आसपास के क्षेत्र या सीमाएं, जिनके भीतर समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है, निम्नलिखित होंगी,--

(क) कक्षा 1 से कक्षा 5 के बालकों के संबंध में, विद्यालय आसपास की एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा ;

(ख) कक्षा 6 से कक्षा 8 के बालकों के संबंध में, विद्यालय आसपास की तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा ।

(2) जहां कहीं अपेक्षित हो, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी कक्षा 1 से कक्षा 5 वाले विद्यमान विद्यालयों को कक्षा 6 से कक्षा 8 को सम्मिलित करने के लिए प्रोन्नत कर सकेगी और ऐसे विद्यालयों के संबंध में, जो कक्षा 6 से आरंभ होते हैं, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, कक्षा 1 से कक्षा 5 जोड़ने का प्रयास करेगा ।

(3) कठिन भू-भाग, भूस्खलनों, बाढ़ के जोखिम, कम सड़कों वाले स्थानों में और साधारणतया, युवा बालकों के लिए अपने घरों से विद्यालय तक पहुंचने में खतरे वाले स्थानों में समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसी रीति मे विद्यालय अवस्थित करेगा, जिससे कि उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं को कम करके ऐसे खतरों से बचा जा सके ।

(4) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पता लगाए गए ऐसे लघु पुरवों के बालकों के लिए, जहां उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आसपास के क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उक्त नियम में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं के शिथिलीकरण में, विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क परिवहन और आवासीय सुविधाओं जैसी पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा ।

(5) सघन जनसंख्या वाले स्थानों में, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे स्थानों में 6-14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान मे रखते हुए, आसपास के एक से अधिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में विचार कर सकेगा ।

(6) स्थानीय प्राधिकारी आसपास के ऐसे विद्यालय (विद्यालयों) का पता लगाएगा, जहां बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है, और प्रत्येक आवास के लिए ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा ।

(7) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के संबंध में, जो उन्हें विद्यालय में पहुंचने से रोकती है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने मे समर्थ बनाने के लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेगा ।

(8) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रतिबाधित न हो ।

7. केंद्रीय सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व--(1) केंद्रीय सरकार, अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, नियत तारीख से एक मास के भीतर पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करेगी, जिन्हें प्रत्येक तीन वर्ष के लिए पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेगी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उसके कार्यक्रम अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं ।